छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर–492002

–: अधिसूचना :–

अटल नगर, दिनांक 05/11/2018

क्रमांक/7618/एफ–02/07/PMFBY/2018/14–2 :: भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2016 Credit II नई दिल्ली, दिनॉक 25.04.2018 द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी संशोधित दिशा–निर्देशों के प्रकाश में सक्षम अनुमोदन उपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा रबी 2018–19 में प्रदेश के समस्त 27 जिलों में **"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना"** लागू करती है। योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है:–

1. **अधिसूचित फसले एवं बीमा इकाई :–**

फसल		बीमा इकाई
मुख्य फसल	**चना**	(i) ग्रामीण क्षेत्र में –ग्राम पंचायत (ii) नगरी क्षेत्र में – ग्राम
अन्य फसल	गेहू सिचिंत, गेहू असिंचित, राई–सरसों, अलसी	

2. **अधिसूचित क्षेत्र:–**

अधिसूचित जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल, बीमा इकाई (ग्राम पंचायत/ग्राम) एवं इन क्षेत्रों में अधिसूचित फसल का विवरण **परिशिष्ट–1** में है।

3. **शामिल किये जाने वाले कृषक :–**

इस योजना में ऋणी कृषक (भूधारक व बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भूधारक व बटाईदार) भाग ले सकते है।

(क) अनिवार्य आधार पर :– ऐसे सभी कृषक जिनका रबी मौसम वर्ष 2018–19 हेतु अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण की सीमा, कृषकों से बीमा आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि या उसके पुर्व स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिये अलग–अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा एवं कृषक को इसकी सूचना संबंधित बैंक को देनी होगी।

(ख) स्वैच्छिक आधार पर :– अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने को इच्छुक हो, वे क्षेत्र बुआई पुष्टि प्रमाण–पत्र जो क्षेत्रीय पटवारी/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो तथा अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। कृषकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे कृषि योग्य भूमि पर कृषि किये जाने के लिए प्रस्तावित अधिसूचित फसल/फसलों के लिए एकल स्त्रोत से ही बीमा आच्छादन प्राप्त कर रहे है। दूसरे शब्दों में, एक ही रकबे हेतु एक से अधिक बार बीमा कराने की अनुमति नही है। एक ही रकबा का दो बार या उससे अधिक बीमा होने की स्थिति में बीमा कंपनी को ऐसे सभी दावों को निरस्त करने का अधिकार होगा और ऐसे मामलों में संबंधित कृषक द्वारा देय प्रीमियम वापस किया जावेगा।

4. **योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :–**

रबी वर्ष 2018–19 में निविदा के आधार पर क्लस्टर वार, जिलेवार चयनित बीमा कंपनियों की जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	क्लस्टर क्र.	क्लस्टर में सम्मिलित जिला	चयनित बीमा कंपनी
1	2	3	4
1	1	बलौदाबाजार, बीजापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, कबीरधाम, नारायणपुर, सरगुजा, कांकेर	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं.लि.
2	2	बालोद, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, गरियाबंद, जशपुर, कोण्डागांव, महासमुंद, मुंगेली	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं.लि.
3	3	दंतेवाड़ा, धमतरी, कोरबा, कोरिया, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सुकमा, सुरजपुर	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं.लि.

5. **जोखिमों की आच्छादन एवं अपवर्जन :–**

(i) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शिका में वर्णित सभी प्रकार के जोखिमों, जो निम्नानुसार है, हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगा –

(क) बाधित रोपाई/रोपण जोखिम : बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बोआई/रोपण क्रिया न होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ख) खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक) : गैर बाधित जोखिमों यथा सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन, विस्तृत कीट एवं व्याधि, भू–स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली/तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर और बवंडर के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहत जोखिम बीमा दिया जायेगा।

(ग) फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान : यह बीमा आच्छादन ऐसी अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) के लिये चकवात और चकवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा के मामले में दिया जायेगा, जिन्हे फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिये छोडा गया अथवा छोटे–छोटे बंडलों में बांध कर रखा गया है।

(घ) स्थानीयकृत आपदाएं : अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषक भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू–स्खलन, जलभराव, बादल का फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से व्यक्तिगत आधार पर अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ii) **सामान्य अपवर्जन** : युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों दुर्भावना–जनित क्षतिओं और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नही किया गया है।

6. **बीमित राशि :–**

ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि प्रत्येक जिले में अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर ऋणमान सीमा (Scale of Finance) के बराबर **(परिशिष्ट–2)** मान्य होगी।

ऋण प्रदाय करने वाली संस्था ऋणी कृषक को "बीमा प्रीमियम राशि" अतिरिक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगी।

7. प्रीमियम की गणना एवं अनुदान :–

फसल चना, गेहू सिचिंत, गेहू असिंचित, राई–सरसों, अलसी हेतु कृषक द्वारा अधिकतम देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो, वहन किया जायेगा। शेष प्रीमियम की राशि 50–50% के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में देय होगा। जिलेवार/फसलवार प्रीमियम राशि का विवरण **परिशिष्ट–2** पर है।

8. क्षति स्तर एवं थ्रेसहोल्ड उपज :–

फसल चना में 90% तथा गेहू सिचिंत, गेहू असिंचित, राई–सरसों एवं अलसी फसल हेतु 80% क्षति स्तर होगा।

विगत वर्ष 2011–12 से वर्ष 2017–18 (7 वर्ष) के उपज आंकड़े में से दो वर्ष के न्यूनतम उपज आंकड़ों को छोडकर शेष पांच वर्ष के आंकड़ों के आधार पर बीमा ईकाईवार थ्रेसहोल्ड उपज की गणना की गई है। जिलेवार फसलवार थ्रेसहोल्ड उपज की जानकारी **परिशिष्ट–5** के रूप में पृथक से अधिसूचित की जावेगी। यदि किसी बीमा इकाई में थ्रेसहोल्ड उपज की जानकारी दर्ज ना हो, तो उक्त बीमा इकाई के निकटतम बीमा इकाई के उपज के आंकडे दावा गणना हेतु उपयोग किये जावेंगे एवं निकटतम बीमा ईकाई के उपज आंकडे उपलब्ध ना हो तो उच्चतर ईकाई के उपज आंकडो का उपयोग कर दावा गणना की जावेगी।

9. विभिन्न गतिविधियों हेतु समय–सीमा:–

क्र.	गतिविधि/कार्यवाही	समय–सीमा	उत्तरदायी संस्था
i.	फसल बीमा पोर्टल पर सभी अपेक्षित सूचना/डाटा अपलोड करना।	अधिसूचना जारी होने के पॉच दिवस के भीतर	संचालनालय कृषि
ii.	अधिसूचित जानकारियो का डिजीटलीकरण	बीमा पोर्टल पर जानकारी अपलोड होने के तीन दिवस के भीतर सत्यापन किया जावेगा।	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
iii.	फसल बीमा पोर्टल से अधिसूचना डाउनलोड कर सभी हितधारको को प्रसारित करना	डिजीटलीकरण पूर्ण होने के पॉच दिवस के भीतर	संचालनालय कृषि
iv.	जागरूकता, संवेदीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम	अधिसूचना जारी होने से दावा भुगतान के पूर्व तक	क्रियान्वयक बीमा कंपनी/ संचालनालय कृषि
v.	कृषकों से बीमा प्रस्ताव/खाते से प्रीमियम कटौती प्रारंभ करने की तिथि	1 अक्टूबर, 2018	बैंक/पैक्स/लोक सेवा केन्द्र /बीमा अभिकर्ता/ऑनलाईन पंजीकरण इत्यादि
vi.	ऋणी कृषकों को बीमित फसल में परिवर्तन करने की अंतिम तिथि	प्रीमियम संग्रहण की अंतिम तिथि से 2 दिवस पूर्व तक	किसान/वित्तीय संस्थान
vii.	**बैंक/प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति/ लोक सेवा केन्द्र/ऑनलाईन पंजीकरण/बीमा अभिकर्ता इत्यादि द्वारा सभी कृषकों (ऋणी तथा अऋणी) से प्रस्ताव प्राप्त करने तथा प्रीमियम कटौती करने की अंतिम तिथि**	**31 दिसम्बर 2018**	**बैंक/प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति/लोक सेवा केन्द्र/बीमा अभिकर्ता/ कृषक द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण**
viii.	बाधित बोनी की घोषणा	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 15 दिन के भीतर अर्थात 15 जनवरी 2019 तक	राज्य शासन/बीमा कंपनी
ix.	बैंको (केन्द्रीय बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति) द्वारा संबंधित बीमा कंपनी को समेकित घोषणा के साथ इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रीमियम प्रेषण करने की अंतिम तिथि तथा प्रत्येक बीमित कृषकों की विवरण को पोर्टल में अपलोड करने तथा प्रत्येक बीमित किसानों को "लघु संदेश" भेजे जाने की अंतिम तिथि	ऋणी तथा अऋणी कृषक के लिये बीमा आवेदन/प्रीमियम कटौती की अंतिम तिथि के 15 दिन के भीतर अर्थात 15 जनवरी 2019 तक	वित्तीय संस्था/पोर्टल

क्र.	गतिविधि / कार्यवाही	समय–सीमा	उत्तरदायी संस्था
x.	ऐच्छिक रूप से बीमित कृषक के प्रीमियम को बीमा अभिकर्ता द्वारा बीमा कंपनी को इलेक्ट्रानिक संप्रेषण एवं उक्त बीमित कृषकों की जानकारी को फसल बीमा पोर्टल में अपलोड करना।	आवेदन एवं प्रीमियम प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी तथा बीमा अभिकर्ता
xi.	बीमा कंपनी द्वारा पोर्टल में इन्द्राज किये गये कृषक की जानकारी को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करने की अंतिम तिथि	बैंक / PACS / CSC / द्वारा डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि से 15 दिन के भीतर ऋणी कृषकों के लिए तथा 30 दिवस के भीतर अऋणी कृषकों के लिये अर्थात ऋणी कृषकों के लिए 30 जनवरी तथा अऋणी कृषकों के लिए 15 फरवरी	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xii.	बैंक / प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति / लोक सेवा केन्द्र / बीमा अभिकर्ता द्वारा काटी जा चुकी प्रीमियम राशि से संबंधित त्रुटिपूर्ण आवेदन के संशोधन / अपडेट करने की अंतिम तिथि	बीमा कंपनी द्वारा सूचना दिये जाने के 7 दिनों के भीतर	CSC/बैंक / वित्तीय संस्थाएँ
xiii.	संशोधित / अपडेट आवेदन को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत करने की अंतिम तिथि	बैंक, PACS तथा CSC द्वारा सही जानकारी प्रस्तुत करने के 7 दिनों के भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xiv.	बीमा धारक कृषकों को फोलियों के साथ बीमा पावती भेजने की अंतिम तिथि।	बीमा कंपनी द्वारा पोर्टल पर बीमा प्रस्ताव स्वीकार करने के 7 दिनों के भीतर	बैंक / वित्तीय संस्थाएँ / क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xv.	बीमा कंपनी द्वारा आवेदनों को संसाधित (Processing) करना और फसल बीमा पोर्टल पर बीमांकृत किसानों के आवेदन की स्वतः अनुमोदन के लिये अंतिम तिथि	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 60 दिनों के भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xvi.	संबंधित पूर्व मौसम के केन्द्रांश / राज्यांश प्रीमियम अनुदान के 80 प्रतिशत का 50 प्रतिशत अग्रिम प्रीमियम अनुदान राशि हेतु सहायक दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी द्वारा मांग प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व	बीमा कंपनी / भारत सरकार / राज्य सरकार
xvii.	संबंधित पूर्व मौसम के केन्द्रांश / राज्यांश प्रीमियम अनुदान के 80 प्रतिशत का 50 प्रतिशत अग्रिम प्रीमियम अनुदान की प्रथम किश्त राशि जारी करने की अंतिम तिथि	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर	भारत सरकार / राज्य सरकार
xviii	फसल कटाई प्रयोग के लिये उत्तरदायी मैदानी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण तथा पोर्टल में पंजीकरण करना	15 जनवरी तक	भू–अभिलेख के राज्य तथा जिला स्तर के कार्यालय
xix.	फसल कटाई प्रयोग के साक्ष्य हेतु सह–निरीक्षण के लिए बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि के मोबाईल नम्बर का पंजीकरण	30 जनवरी तक	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xx.	(अ) CCE Agri App फसल कटाई प्रयोग का फसलवार बीमाईकाईवार अनुमानित कार्यक्रम अपलोड करना तथा फसल कटाई प्रयोग के एक दिन पूर्व मैसेज करना। बीमा कंपनी फसल कटाई प्रयोग की तय कार्यक्रम की निश्चितता के लिये जिला अधिकारी तथा तहसील / वि.खं. अधिकारियों के साथ आवश्यक समन्वय करने हेतु सानान्तर रूप से जवाबदेह होगें ।	फसल कटाई प्रयोग की अनुमानित तिथि के 7 दिन पूर्व	आयुक्त भू–अभिलेख
	(ब) फसल कटाई प्रयोग कार्यक्रम की पुष्टि	पोर्टल जनित मैसेज के माध्यम से 1 दिवस पूर्व	
xxi.	फसल कटाई प्रयोग के संदिग्ध आंकडों के संबंध में आनलाईन शिकायत दर्ज करने की समय–सीमा	फसल कटाई प्रयोग संपादन के दो घण्टे की भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xxii.	जिलेवार फसलवार वास्तविक उपज के आंकडों की स्वीकृति तथा पोर्टल में अपलोड करने की कार्यवाही।	फसलवार अधिसूचित फसल कटाई की अंतिम तिथि के एक माह के भीतर	आयुक्त भू–अभिलेख

क्र.	गतिविधि/कार्यवाही	समय–सीमा	उत्तरदायी संस्था
xxiii.	वास्तविक उपज के आंकडों में किसी भी प्रकार की कमी/अस्पष्टता/भिन्नता/मिलान करने की अंतिम तिथि	राज्य शासन द्वारा उपज आंकड़े उपलब्ध कराने के 7 दिवस के भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xxiv.	बीमा कंपनी द्वारा उपज आंकड़ों के संबंध में राज्य सरकार से चाही गई स्पष्टीकरण के निराकरण की अंतिम तिथि	पोर्टल पर स्पष्टीकरण हेतु आपत्ति दर्ज करने के 7 दिन के अंदर	आयुक्त भू–अभिलेख
xxv.	भू–अभिलेख द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोग के अनुसार औसत उपज आंकडों की जानकारी संचालनालय कृषि को उपलब्ध कराये जाने की अंतिम तिथि।	फसलवार अधिसूचित फसल कटाई की अंतिम तिथि से 3 सप्ताह के भीतर	आयुक्त भू–अभिलेख
xxvi.	संचालक कृषि द्वारा बीमा कंपनी को उत्पादन आंकडे प्रदाय करने की अंतिम तिथि।	फसलवार अधिसूचित फसल कटाई की अंतिम तिथि से 1 माह के भीतर	संचालनालय कृषि
xxvii.	पोर्टल में स्व–अनुमोदित वास्तविक आंकडों के आधार पर प्रीमियम अनुदान की दूसरी किश्त के लिये सहायक दस्तावेजो के साथ मांग पत्र प्रस्तुत करना	पोर्टल पर अंतिम व्यावसायिक आंकडों में स्व–अनुमोदन में 15 दिनों के भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xxviii.	शासकीय अनुदान की दुसरी किश्त का निर्गमन	क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा मांग प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर	भारत सरकार/राज्य सरकार
xxix.	उपज आंकडों का स्व अनुमोदन	राज्य सरकार से उपज आंकडों की प्राप्ति/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर	भारत सरकार/पोर्टल
xxx.	फसल बीमा पोर्टल से बैंक शाखा एवं अन्य संबंधित विभाग के साथ दावा की विस्तृत जानकारी साझा करना	बीमा कंपनी द्वारा दावा के अनुमोदन के 7 दिन के भीतर	पोर्टल/बीमा कंपनी
xxxi.	दावा भुगतान के लिये समय–सीमा	दावा की गणना /स्व अनुमोदन के 2 सप्ताह के भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xxxii.	शासकीय प्रीमियम अनुदान के अंतिम किश्त का भुगतान	पोर्टल पर कृषकों के वास्तविक व्यवसायिक आंकडे को अंतिम रूप देने के पश्चात्।	संचालनालय कृषि
xxxiii.	(अ) संबंधित बैंक शाखाओं/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दावे राशि का मिलान कर लाभार्थी ऋणी कृषक के खातें में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने की अंतिम तिथि	दावा राशि प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर	बैंक/वित्तीय संस्था
	(ब) आवश्यकता अनुसार अऋणी कृषकों के दावा राशि का पुर्न मिलान संबंधित पंजीकरण करने वाली संस्था द्वारा बैंक अथवा राज्य शासन से परामर्श अनुसार किया जाना		

टीपः– उपरोक्त समय–सीमा/प्रक्रियाओं/कार्यवाहियों का पालन करने में किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा अंतिम तिथि के उपरांत जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था की होगी एवं प्रभावित कृषक/कृषकों को योजनांतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी होगी।

10. वित्तीय संस्थाएँ समस्त ऋणी तथा अऋणी बीमा आच्छादित कृषकों की सूची जिसमें–कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, खसरा संख्या कृषक श्रेणी–लघु एवं सीमांत/अन्य, महिला/पुरुष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य, आच्छादित रकबा, बीमित राशि एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम का विवरण एवं अन्य जानकारी निश्चित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कम्पनी को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेगी तथा कृषकवार विवरण फसल बीमा पोर्टल पर बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर अपलोड करेंगी। साथ ही राज्य सरकार एवं बीमा कार्यान्वयक अभिकरण/बैंक सभी जानकारियों एवं आंकड़ों को www.pmfby.gov.in में निर्धारित समय–सीमा इन्द्राज करेगी।

11. बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र :–

सभी संबंधित सहकारी बैकों/वाणिज्यिक बैकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों द्वारा बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र की दो प्रति तैयार किया जावेगा एवं एक प्रति बीमा कंपनी को व एक प्रति संबंधित कृषक को अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे।

12. दावा गणना :–

दावा गणना आयुक्त, भू–अभिलेख, छ.ग. द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए निर्धारित अनिवार्य संख्या में किये गये फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज के आकड़ो से की जायेगी। शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़ अकाल घोषित किये जाने पर दावा देय नहीं हैं। अधिसूचित बीमा इकाई ग्राम/ग्राम पंचायत में मुख्य एवं अन्य अधिसूचित फसल हेतु 04 फसल कटाई प्रयोग किये जाने होंगे। राज्य शासन को यह अधिकार रहेगा कि विभिन्न कारणों से निर्धारित समय–सीमा से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित मुख्य अथवा अन्य फसलों के निर्धारित फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जाना संभव नहीं हो सके तो अधिसूचित इकाई से उच्चतर इकाई (पटवारी हल्का/राजस्व निरीक्षक मंडल) में योजना प्रावधान अनुसार निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जा सकेंगे अथवा उच्चतर इकाई या निकटतस्थ बीमा ईकाई के औसत उपज आंकड़े दावा गणना हेतु मान्य होंगे।

13. क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियां :–

योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल की क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा–

(क) बुआई नहीं हो पाने /निष्फल होने/ रोपण बाधित होने की स्थिति में :–

यह आवरण केवल मुख्य फसल चना के लिए ही लागू होगा। फसल बोआई अवधि के दौरान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य विपरित मौसम के कारण अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत/ग्राम) में अधिसूचित मुख्य फसल चना की 75% से अधिक बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति में बीमित राशि का अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को भुगतान किया जा सकेगा। इस घटक के अंतर्गत फसल चना की बुआई की अंतिम समय–सीमा 15 जनवरी होगी।

उपरोक्त समयावधि में यदि किसी अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित प्रमुख फसल के बोवाई किये जाने वाले क्षेत्रफल में से 75% से अधिक क्षेत्रफल में बोवाई नहीं होती है ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े तथा प्रदेश में फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेंसी राजस्व विभाग (भू–अभिलेख) के आंकड़ों को आधार माना जायेगा। इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के पात्र वे कृषक होगें जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हो अथवा उन्हें स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हों। जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति के प्रस्ताव एवं संचालक कृषि के अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा ऐसे प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी की जायेगी, जिसके आधार पर अधिसूचित क्षेत्र के बीमित कृषकों को अधिकतम 25% तक दावा भुगतान किया जावेगा। इस खण्ड के अधीन क्षतिपूर्ति देय होने के पश्चात बीमा आच्छादन को समाप्त माना जावेगा और प्रभावित बीमा इकाई/फसल मौसम के अंत में क्षेत्र उपज अधारित संगणित दावों के पात्र नहीं होंगे और न ही इन क्षेत्रों में प्रभावित अधिसूचित फसलों के लिये नया पंजीयन किया जावेगा।

(ख) **मौसम प्रतिकूलताओं के कारण फसल की मध्यावधि (बुआई से कटाई की समयावधि) में नुकसान होने की स्थिति में** :– फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भू–स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं एवं आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर एवं बवंडर के कारण प्रभावित फसल की अनुमानित उपज, थ्रेस होल्ड उपज से 50% से कम आना संभावित हो तो संभावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा का भुगतान रबी मौसम के दौरान ही किया जा सकता है। यह क्षतिपूर्ति भुगतान की राशि अंतिम उपज आधारित क्षतिपूर्ति राशि के साथ समायोजित की जायेगी। यदि उक्त स्थिति अधिसूचना की **परिशिष्ट–4** (क्राप कैलेण्डर) में फसलवार उल्लेखित सामान्य फसल कटाई प्रारंभ होने के 15 दिनों के पूर्व होती है, तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी।

इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े, सैटेलाईट इमेज एवं जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी द्वारा प्रेषित फसल अवस्था आंकड़े को आधार माना जाएगा। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों के विवरणों पर भी विचार किया जावेगा। इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के पात्र वे कृषक ही होगें जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हो अथवा उनके स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हों। संयुक्त समिति द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 07 दिवस के भीतर बैठक आयोजित कर आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित करने से संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लेगी तथा आगामी 7 दिवस के भीतर क्षति का आंकलन कर प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा आगामी 7 दिवस के भीतर प्रभावित इकाईयों की सूची एवं विवरण तथा इन्हें इस घटक के अंतर्गत पात्रता होने संबंधी आदेश पारित किया जायेगा। आदेश पारित होने के एक माह के भीतर बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान संबंधित कृषकों के बैंक खाते में किया जावेगा।

(ग) **स्थानीय आपदाओं की स्थिति में** :– स्थानीय जोखिमों यथा–ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित कृषक को क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है। यदि किसी प्रभावित इकाई में 25% से ज्यादा हानि होती है तो संयुक्त समिति द्वारा सैम्पल जांच कर उस इकाई में सभी बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होगी। कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे टोल फ्री नंबर पर या लिखित रूप से अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी को लिखित रूप से निर्धारित समय–सीमा 72 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। कृषक द्वारा सूचित किये गये संस्था/विभाग द्वारा 48 घण्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित बीमा कंपनी सूचित किया जाएगा।

हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी क्षेत्र में फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए 48 घण्टो के भीतर हानि निर्धारक (Loss Assessor) की नियुक्ति करेंगी तथा संशोधित मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार 10 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति निर्धारित

किया जाएगा। जिला विकासखण्ड स्तरीय कृषि/राजस्व विभाग के अधिकारी फसल क्षति का अनुमान लगाने में कियान्वयक बीमा कंपनी को उपयुक्त सहायता करेगें। बीमा कंपनी को क्षति आंकलन करने के 15 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करना होगा। इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता बीमित राशि के अध्याधीन प्रभावित क्षेत्र में आपदा घटित होने तक फसल की लागत के अनुपात में होगी। यदि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र में दावा भुगतान स्थानीय क्षतिपूर्ति से अधिक निर्धारित होता है, तो दोनों में से जो भी दावा अधिक होगा, कृषक को देय होगा।

(घ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में**:– फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई अथवा छोटे बण्डलों में रखे हुए अधिसूचित फसल को प्राकृतिक आपदा यथा चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा से 25% से अधिक अधिसूचित क्षेत्र में फसलों को क्षति होती है तो ऐसी अवस्था में सेम्पल जांचकर सभी बीमित कृषकों को क्षति का भुगतान किया जावेगा। यदि 25% से कम अधिसूचित क्षेत्र में हानि होती है तो उन सभी प्रभावित बीमित कृषकों के नुकसान की जांच कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति के पात्र घोषित की जायेगी, जो कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे/टोल फ्री नंबर या लिखित रूप में अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों/संबंधित बैंक अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in में निर्धारित समय–सीमा 72 घंटे के भीतर लिखित रूप से बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्राप कैलेण्डर (**परिशिष्ट–4**) में अंकित फसल कटाई की निर्धारित अंतिम तिथि से यदि कटी हुई अधिसूचित फसल, अधिकतम 14 दिनों तक सूखने के लिए फैलाकर रखी जाती है तो इसी अवधि तक के लिए ही उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति का आंकलन किया जाएगा।

हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी क्षेत्र में फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए 48 घण्टो के भीतर हानि निर्धारक (Loss Assessor) की नियुक्ति करेंगी तथा संशोधित मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार 10 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाएगा। विकासखंड/जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति एवं संयुक्त समिति के सदस्यों एवं कृषक फसल क्षति का अनुमान लगाने में क्रियान्वयन बीमा कंपनी की उपयुक्त सहायता करेंगे। सांकेतिक संकेतों, स्थानीय मिडिया रिर्पोटों, कृषि/राजस्व विभाग के रिपोर्टों को क्षति का आंकलन का आधार बनाया जाएगा। बीमा कंपनी को क्षति आंकलन करने के 15 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान संबंधित कृषकों के खाते में करना होगा।

(ङ) **फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में** :– राज्य शासन फसल उत्पादन आंकलन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित प्रमुख एवं अन्य फसलों के लिए 04 फसल कटाई प्रयोग भारत सरकार के मोबाईल एप "CCE Agri App" के माध्यम से संपादित करेगी। इस फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर निम्नानुसार दावा गणना की जायेगी:–

$$\text{देय क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{थ्रेसहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेसहोल्ड उपज}} \text{X बीमित राशि}$$

छ.ग. शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु किये जा रहे फसल कटाई प्रयोग के परिणाम (अनावारी, सूखाग्रस्त घोषित करने, आदि के उद्देश्य से पृथक से क्रियान्वित किये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग) इस योजनान्तर्गत दावा भुगतान की गणना में मान्य नहीं होंगे। यथासंभव इसी योजना के अंतर्गत संपादित कराये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग की श्रृंखला का ही उपयोग फसल बीमा की गणना के साथ ही फसल उत्पादकता के आंकड़े प्राप्त करने में भी किया जायेगा।

14. योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु संयुक्त समिति का गठन :–

योजनानुसार निष्फल बुआई, फसल मध्यावधि, स्थानीय आपदाओं एवं फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति आंकलन हेतु शासन द्वारा योजनांतर्गत गठित संयुक्त समिति ही अधिकृत होगी।

15. मौसम केन्द्रों की जानकारी :–

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के तहसील/विकासखंडों में वर्षामापी यंत्र स्थापित है जिसके दैनिक वर्षा के आंकड़े नियमित प्राप्त होते है। योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु इन आंकड़ों को मान्य किया जाना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वर्षामापी यंत्र बंद या खराब होने की स्थिति में जिले में केन्द्रीय मौसम विज्ञान विभाग/इं.गा. कृ.वि.वि. के मौसम विज्ञान विभाग अथवा मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत स्थापित वर्षामापी/AWS के आंकड़े स्वीकार किये जायेगें।

16. बीमित फसल में परिवर्तन/बदलाव का विकल्पः–

कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के लिए ऐच्छिक आधार पर लिये गये बीमा आवरण में फसल के नाम बदलाव की ईच्छा होने पर ऐसा किया जा सकता है, बशर्ते पूर्व नियोजित फसल बदले जाने की स्थिति में किसान को उसकी सूचना वित्तीय संस्थान/चैनल भागीदार/बीमा मध्यस्थ को लिखित रूप में बोनी प्रमाण पत्र (जो बीमा इकाई स्तर पर अधिकृत राजस्व कर्मचारी (राजस्व पटवारी) अथवा इससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा अन्य फसल की बोनी करने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया हो) के साथ यदि कोई प्रीमियम में देय धनराशि की भिन्नता अंकित करते हुए बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 02 कार्य दिवस पूर्व देनी होगी। पहले दिया हुआ प्रीमियम अधिक होने की स्थिति में, बीमा कंपनी अतिरिक्त प्रीमियम को वापस करेगी। यह विकल्प केवल उन्हीं कृषकों को होगा, जिन्होने फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा कर दी है।

इसी प्रकार ऋणी किसान ऋण आवेदन में प्रस्तुत मूल फसलों से बीमाकृत फसल के नाम को बदल सकते है, तथापि ऐसे परिवर्तनों हेतु अभ्यावेदन बीमा आवेदन की अंतिम तिथि (31 दिसम्बर 2018) से 02 कार्य दिवस के पूर्व संबंधित बैंक शाखा में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि प्रस्तावित फसलों को बीमाकृत किया जा सके। बुआई प्रमाण–पत्र को जमा किए बिना अधिसूचित फसलों को गैर अधिसूचित फसलों में अथवा गैर अधिसूचित फसलों को अधिसूचित फसल में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अंतिम तिथि में अधिसूचित फसलों के लिए संस्वीकृत सभी मानक ऋण अनिवार्य रूप से आच्छादन किए जाएं।

17. **कृषकों के खाते में बीमा दावा भुगतान समायोजन करने की समय–सीमा :–**

(क) **फसल उत्पादन के आधार पर व्यापक क्षतिपूर्ति:–** दावा गणना/स्व–अनुमोदन होने के 02 सप्ताह के भीतर देय दावा राशि बीमा कंपनी द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था को प्रदान की जावेगी तथा वित्तीय संस्था द्वारा एक सप्ताह के अंदर धनराशि पात्र कृषकों के खाते में समायोजित कर 15 दिन के अंदर तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत करेगी (केन्द्र एवं राज्य शासन से प्रीमियम अनुदान की द्वितीय किश्त प्राप्त होने की स्थिति में)।

(ख) **बुआई नहीं हो पाने/बुवाई विफल होने की स्थिति में:–** कियान्वयक बीमा कंपनी केन्द्र एवं राज्य शासन से प्रीमियम अनुदान का इंतजार न करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना/आदेश पारित होने की तिथि के 30 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में दावा भुगतान जमा कराई जाएगी।

(ग) **फसल मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में:–** कियान्वयक बीमा कंपनी को केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अनुदान प्रथम किश्त प्राप्त होने की स्थिति में, राज्य शासन द्वारा आपदा क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी पारित आदेश **के 01 माह के भीतर** कृषकों के खाते में समायोजित की जायेगी।

(घ) **स्थानीय आपदाओं के मामले में :–** संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में अंतरित की जायेगी (केन्द्र एवं राज्य शासन से अग्रिम प्रीमियम अनुदान की प्रथम किश्त प्राप्त होने की स्थिति में)।

(ड़) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में:–** संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जावेगी (केन्द्र एवं राज्य शासन से प्रीमियम अनुदान की द्वितीय किश्त प्राप्त होने की स्थिति में)।

18. **क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा हानि निर्धारकों (Loss Assessor) की नियुक्ति:–**

चयनित बीमा कंपनी द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न क्षति जिनका विवरण बिन्दु क्रमांक–13 में दिया गया है, हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले क्षति निर्धारकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से की जायेगी तथा इसकी सूचना संचालनालय कृषि को दी जायेगी।

19. **बैंक कमीशन एवं शुल्क:–**

क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने के लिए योजनांतर्गत निर्धारित दर के अनुसार कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का 4 प्रतिशत रबी मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान कर नोडल विभाग को सूचित किया जावेगा।

20. योजनांतर्गत गठित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त समिति द्वारा नियमित रूप से इस योजना के संचालन की पाक्षिक समीक्षा बैठक कर कार्यवाही विवरण/प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन एवं संचालक कृषि को उपलब्ध कराया जायेगा।

21. योजनानुसार निष्फल बोनी, मध्यावधि नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण, स्थानीय आपदाओं की स्थिति में क्षति का निर्धारण एवं फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति आंकलन हेतु शासन द्वारा जारी जिला स्तरीय संयुक्त समिति [District Level Joint Committee(DLJC)] समयावधि में कार्यवाही कर दावा भुगतान हेतु अधिकृत होगी।

22. योजनान्तर्गत गठित की जाने वाली जिला स्तरीय मार्गदर्शक समिति [District Level Steering Committee(DLSC)] फसल कटाई प्रयोग फसल कटाई प्रयोग से संबंधित प्रत्येक गतिविधियों जैसे प्रस्तावित फसल कटाई प्रयोग हेतु कार्यक्रम, इसकी जानकारी संबंधितों को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में आकंड़े अपलोड कराना, फसल कटाई प्रयोगकर्ता को प्रशिक्षण, प्रपत्र 1 एवं 2 संबंधितो को उपलब्ध कराना, फसल कटाई प्रयोग का प्रतिवेदन तैयार करना, फसल कटाई प्रयोग की जानकारी जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति को उपलब्ध कराना, अधिसूचित बीमा ईकाई में किसी कारणवश फसल कटाई प्रयोग का आयोजन न हो पाया हो तो कारण सहित उच्च ईकाई के फसल कटाई आंकड़ों को मान्य करने का प्रस्ताव जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति के अनुमोदन संचालक कृषि को भेजना आदि के लिए अधिकृत होगी।

23. क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा आवश्यक समन्वय हेतु प्रतिनिधि अधिकारी की प्रतिनियुक्ति जिला स्तरीय मार्गदर्शक समिति [District Level Steering Committee(DLSC)] के अध्यक्ष के कार्यालय में फसल कटाई प्रयोग संपादन कार्यवाही के दौरान तीन माह के लिये अनिवार्यतः किया जावेगा।

24. योजनान्तर्गत कृषक, कृषि विभाग, राजस्व (भू–अभिलेख) विभाग, बैंक/वित्तीय संस्थाएँ, क्रियान्वयक बीमा कंपनी आदि अभिकरणों से संबंधित शिकायतों का निराकरण जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति [District Level Grievance Redressal Committee (DGRC)] द्वारा 15 दिवस के भीतर किया जावेगा। जिला स्तरीय समिति के निर्णय से संबंधित संस्था/विभाग असहमत होने अथवा शिकायत अधिक जिलों को प्रभावित कर रही हो अथवा रूपये 25 लाख से उपर का प्रकरण हो, तो ऐसी स्थिति में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति द्वारा प्रकरण राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति [State Level Grievance Redressal Committee (SGRC)] को अंतरित कर दी जावेगी। राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

25. भारत सकार द्वारा योजना कियान्वयन की जारी दिशा–निर्देश, इनमें विभिन्न कार्यो हेतु अंकित समय–सीमा, कार्य की पद्धति, ऑनलाईन अपलोड की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व कियान्वयन बीमा कंपनी, वित्तीय संस्थाएं, संचालनालय कृषि एवं फसल कटाई प्रयोग हेतु नोडल भू–अभिलेख का होगा। इस हेतु पृथक से आदेश जारी नही किये जायेंगें।

26. कियान्वयक बीमा कंपनी को राज्य स्तरीय कार्यालय के अतिरिक्त उनको आबंटित जिलों के मुख्यालय तथा प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर कियाशील कार्यालय स्थापित किया जाना होगा तथा उनके द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में एक एजेंट नियुक्त किया जावेगा। उक्त से संबंधित

जानकारी राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक के अनुमोदन तिथि से 10 दिवस के अंदर पोर्टल में दर्ज कर जानकारी जिला कृषि कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगी तथा बीमा कम्पनी द्वारा संबंधित जिला उपसंचालक कृषि/DLMC से अभिस्वीकृत प्राप्त कर इसकी विधिवत सूचना संबंधित संस्थाओं तथा संचालनालय कृषि को अनिवार्य रूप से देना होगा। संबंधित बीमा कम्पनी अपने एक पदाधिकारी को जिला स्तरीय मार्गदर्शन समिति (DLSC) के कार्यालय में फसल कटाई प्रयोग के सुचारू रूप से संपादन हेतु तीन माह के लिए अनिवार्यतः पदस्थ करेगी।

27. बीमा कंपनी द्वारा बैंको से प्राप्त सभी घोषणा पत्र/प्रीमियम राशि की पावती संबंधित बैंक शाखाओं को उपलब्ध कराई जाएगी एवं किसी भी त्रुटि/अंतर/विसंगति अवलोकित होने पर इसकी सूचना संबंधित बैंक को तत्काल दिया जाएगा। उक्त विसंगतियों के निराकरण हेतु बीमा कंपनी द्वारा वित्तीय संस्था से दस्तावेज/जानकारी निर्धारित समयावधि तक ही स्वीकार किये जायेंगे। यदि वित्तीय संस्था द्वारा नियत समय–सीमा में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा संबंधित प्रीमियम राशि तीन सप्ताह के भीतर बैंकों को अनिवार्य रूप से वापस किया जाना होगा, अन्यथा कृषकों को नियमानुसार दावा प्रतिपूर्ति का सम्पूर्ण दायित्व बीमा कंपनी की होगी।

28. वित्तीय संस्थान/सी.एस.सी./मध्यस्थ/बीमा कंपनी कृषक के फसल का बीमा आवरण उस बीमा ईकाई करेंगे, जिस बीमा ईकाई में कृषक का कास्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इससे संबंधित त्रुटियों के मामले में संबंधित संस्था सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई करने हेतु जवाबदेह होंगे।

29. बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/सी.एस.सी./मध्यस्थ/बीमा कंपनी की गलतियों/चूकों/त्रुटियों के कारण योजना के तहत कोई कृषक बीमा लाभ से वंचित होता है तो, ऐसी त्रुटियों के मामले में संबंधित संस्था सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई करने हेतु जवाबदेह होंगे।

30. कियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा पूर्ण परीक्षण एवं कंपनी के चार्टेड एकाउंटेट से सत्यापन उपरांत प्रीमियम अनुदान की मांग हेतु प्रस्ताव संचालक कृषि को प्रस्तुत किया जावेगा। राज्यांश प्रीमियम अनुदान राशि की मांग के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि, प्रस्तुत की जा रही मांग संबंधित मौसम में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिए निर्धारित प्रीमियम दर पर प्रस्तुत की जा रही है। बीमा कंपनी से प्राप्त प्रस्ताव को संचालनालय कृषि स्तर पर विस्तृत परीक्षण उपरांत राज्यांश राशि के भुगतान हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

31. क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा बीमा आवरण में सम्मिलित कृषक एवं लाभार्थी कृषकों की अंतिम जानकारी संचालनालय कृषि को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित समयावधि में उक्त जानकारी उपलबध न कराने पर निविदा शर्तों के अनुसार बीमा कंपनी पर मौसमवार 5.00 लाख रू. राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा, जो अंतिम प्रीमियम अनुदान के समय समायोजन योग्य होगा।

32. वास्तविक उपज के आंकड़ों के आधार पर प्रस्तावित बीमा दावा राशि की सम्पूर्ण जानकारी संचालनालय कृषि, छ.ग. को प्रस्तुत करने के उपरांत कियान्वयक बीमा कंपनी को राज्यांश प्रीमियम अनुदान की अंतिम किस्त का भुगतान किया जावेगा।

33. योजना के प्रति कृषकों में जागरूता उत्पन्न करने के लिये विभाग/संस्था/बीमा कंपनी/अन्य अभिकरणों द्वारा प्रचार–प्रसार करना होगा (**परिशिष्ट–3**)। प्रचार–प्रसार मे बीमा कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार संचालनालय कृषि द्वारा जिलावार/संस्थावार कार्ययोजना तैयार किया जाएगा। उक्त कार्ययोजना के अनुसार प्रचार–प्रसार की जावेगी। बीमा कंपनी द्वारा प्रचार–प्रसार में व्यय की गई राशि एवं उपयोग किये गये प्रसार माध्यमों की पाक्षिक जानकारी संचालक कृषि को उपलब्ध कराई जाएगी। माहवार प्रचार–प्रसार में व्यय की गई राशि का विवरण चार्टेड एकाउण्टेंट से सत्यापित कराते हुए अंतिम राज्यांश प्रीमियम अनुदान राशि के भुगतान के पूर्व संचालनालय कृषि को उपलब्ध कराया जावेगा। बीमा कंपनी द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु निर्धारित राशि के अनुसार व्यय नहीं करने पर अंतर राशि का समायोजन अंतिम राज्यांश प्रीमियम राशि में किया जावेगा।

34. योजनान्तर्गत विगत वर्ष के समरूप मौसम में शामिल किये गये अऋणी कृषकों की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत वृध्दि करने की जवाबदेही चयनित बीमा कंपनी की होगी।

35. बीमा कंपनी द्वारा दावा भुगतान की राशि बैंक को अंतरित किये जाने के 1 सप्ताह के भीतर बैंक/वित्तीय संस्थाए के शाखा/समिति के सूचना पटल में कृषकवार सूची को अभिप्रदर्शित की जाएगी और उसकी एक प्रति बीमा ईकाई के अध्यक्ष/सरपंच/प्रधान को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इसकी सूचना लाभांवित कृषक के मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से देना होगा।

36. बीमा कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्थाओं को मार्गदर्शिका में प्रावधानित निर्धारित समयावधि में दावा राशि संबंधित कृषक/हितग्राही के खाते में अंतरित/समायोजित करना होगा। यदि बीमा कंपनी/बैंक शाखाएं/नोडल बैंक द्वारा परिभाषित समय में दावा भुगतान नहीं किया जाता है, तो किसानों की विलंबित अवधि के लिये दावा राशि का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर पर अतिरिक्त राशि भुगतान करना होगा।

37. अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित बीमा इकाई में योजनांतर्गत फसल क्षति आंकलन के लिए आयुक्त भू–अभिलेख, (नोडल कार्यालय, फसल कटाई प्रयोग) द्वारा शत्–प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग का आयोजन मोबाईल एप (CCE Agri App) के माध्यम से सुनिश्चित की जावेगी। किन्ही कारणो से मोबाईल एप "CCE Agri App" के माध्यम से फसल कटाई के आंकड़े दर्ज न हो पाने पर प्रपत्र 2 के आधार पर बीमा इकाईवार आंकलित औसत उपज का उपयोग दावा गणना में की जावेगी।

38. बीमा कंपनी को फसल कटाई प्रयोगों का शत् प्रतिशत सह–निरीक्षण करने का अधिकार होगा। बीमा कंपनी को फसल कटाई प्रयोग के समय प्रयोगकर्ता अधिकारी से अभिप्रमाणित प्रपत्र–2 जिसमें कंपनी के प्रतिनिधि एवं संबंधित सभी प्रतिनिधि भी अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किये हो, प्राप्त करना होगा। नोडल विभाग द्वारा पृथक से प्रपत्र–2 प्रदायित नही किए जाएंगें।

39. बीमा कंपनी द्वारा यदि प्रत्यक्ष उपज आंकलन के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है तो इस हेतु राज्य शासन की सहमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी, अन्यथा उनके द्वारा इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रदायित उपज आंकडों में आपत्ति दर्ज करने पर राज्य सरकार द्वारा विचार नही किया जाएगा।

40. विवादित प्रकरण का निराकरण नहीं हो सकने की स्थिति में वाद, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित जिला न्यायलय के अधीन होगा।

41. संचालक कृषि द्वारा कियान्वयक बीमा कंपनी को उपलब्ध कराये गये उपज आंकडों के अनुसार ही दावा का आंकलन कर अंतिम दावा भुगतान किया जाएगा। किसी भी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।

42. भारत सरकार स्तर से कियान्वयक अभिकरण को De-Empanelled किया जाता है तो तदानुसार कियान्वयक अभिकरण के चयन को निरस्त किया जा सकता है।

43. योजना मार्गदर्शिका/निविदा शर्तो/इस अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों का पालन न करने पर बीमा कंपनी को काली सूची में डालने का अधिकार राज्य शासन को होगा।

44. भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के मार्गदर्शिका में संशोधन किये जाने पर तदानुसार अधिसूचना में संशोधन किया जा सकता है।

45. इस अधिसूचना में जिन नियमों का उल्लेख नही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित मार्गदर्शिका में किये गये प्रावधानों एवं निविदा शर्तो के अनुरूप सभी के लिए बंधनकारी होगा।

46. यह अधिसूचना दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी मानी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सी. पैकरा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र./3619 /एफ–02/07/PMFBY/2018/14–2 अटल नगर दिनांक 05/11/2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, कृषि, पशुधन विकास, मत्स्यपालन, जल संसाधन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
5. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, छ.ग. शासन, वित्त/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन /सहकारिता/कृषि विभाग, छ.ग. शासन।

D:\Sandeep Bhoi\Notification Rabi 2018-19 .Rtf

7. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छ.ग. रायपुर।
8. संचालक, संस्थागत वित्त/कृषि/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी/भू-अभिलेख/आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग/जनसम्पर्क विभाग, छ.ग. रायपुर।
9. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, बैरन बाजार, रायपुर।
10. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक, रायपुर।
11. महानिदेशक, छ.ग. राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, रायपुर।
12. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) रायपुर।
13. निदेशक, केन्द्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, लालपुर, रायपुर।
14. संचालक अनुसंधान सेवाएं, इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर।
15. निदेशक विस्तार सेवाएं, इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर।
16. कलेक्टर, जिला-.. छ.ग.।
17. महाप्रबंधक, छ.ग. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायपुर।
18. संयुक्त संचालक कृषि, संभाग-रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा।
19. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
20. क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर।
21. उप संचालक कृषि, जिला-..(सर्व) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
22. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंडरी रायपुर।
23. क्षेत्रीय प्रबंधक, बजाज एलांयज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. रायपुर (छ.ग.)।

(के.सी. पैकरा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

D:\Sandeep Bhoi\Notification Rabi 2018-19 .Rtf